न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 113/2020

धन्नासिंह पुत्र श्री निक्कासिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–अपीलांट

बनाम

1. गुरजण्ट सिंह पुत्र ठानासिंह
2. गुरदत्त सिह पुत्र टाना सिंह
3. सर्वजीत सिह पुत्र जलौर सिंह
4. इकबाल सिंह पुत्र जलौर सिंह
5. बलजीत सिंह पुत्र जलौर सिंह

(1 से 5) जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

6. सुरेशरानी पत्नी अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय उप डिक्री दिनांक 26.12.1996, प्र. सं. 261/1996
अनवान गुरजण्ट सिंह बपनाम ठाना सिंह आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपस्थितः–
श्री अशोक कुमार छोडा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिंह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 19.05.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया। वादपत्र की मद संख्या 5 के अनुसार वादीगण ने अपना कब्जा होने का तथ्य बताते हुए खाता विभाजन करने एवं अधिकारों की घोषणा करने वादपत्र में वर्णित अनुसार विभिन्न खातेदारों के नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा। वादीगण के अजीदावा व प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम में कोई विवाद नही पाया गया। दोनों पक्ष सहमत थे इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी एवं काउण्टर क्लेम दोनों स्वीकार किये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:55 IST
Reason: SelfAttested

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक 2 एएमपी के मुरब्बा नंबर 66 पत्थर नंबर 171/133 किला नं. 24/1 व मुरब्बा नं. 69 पत्थर नंबर 171/134 किलीा नं. 3 की 18 बिस्वा अर्थात 0.228 है0 किला नं. 4 की 12 बिस्वा अर्थात 0.152 है0 किला नं. 8 की 0.253 है0 किला नं. 13/0.253 है0 कुल 3 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 0.886 है0 व पत्थर नंबर 85/43 की 4 बिस्वा रास्ता यानी 3 बीघा 14 बिस्वा इस प्रकार दोनों मुरब्बों में 4 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 1.189 है0 भूमि जरिये रजिस्र्टड बैयनामा दिनांक 24.06.1968 प्रतिवादी संख्या वीरसिह पुत्र श्रवण सिंह से महेन्द्रसिंह, मन्दर सिंह धन्नासिंह ने खरीद की हुई थी। महेन्द्र सिह व मन्दर सिह ने अपना हक धन्ना सिह के पक्ष में हक त्याग किया तब से उक्त समस्त भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में रही तथा वर्तमान में भी उक्त 1.189 है0 कृषि भूमि अपीलाण्ट के वारिसान बलजोत सिह , अजयपाल सिंह पिसरान निर्मल सिह, निर्मल सिह पुत्र धन्ना सिह, हरीनारायण सिंह पुत्र धन्ना सिंह के कब्जा काश्त में है। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उसके नाम केवल मात्र किला नं. 4 की 6 बिस्वा भूमि ही नाम दर्ज होनी चाहिए थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने 15 बिस्वा कृषि भूमि सहित 1.252 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 6 को विक्रय कर दी जबकि उसे केवल मात्र 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि का हक व अधिकार था इतनी भूमि ही उसके कब्जा काश्त में थी। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने 9 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 6 को विक्रय कर अपीलाण्ट के हकों पर कुठाराघात किया है। इससे अपीलाण्ट की भूमि कम हो गई है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय मे उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही फरमाई गई थी। रेस्पोडेण्ट के वारिसान ने माह अगस्त 2020 में धमकी दी कि किला नं. 4 की 15 बिस्वा कृषि भूमि उन्होंने खरीद कर ली है जिस पर अपीलाण्ट ने पटवार हल्का सन्तपुरा के पटवारी से सम्पर्क कर विवादग्रस्त आराजी के रिकार्ड की जांच पड़ताल की तो अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ एवं अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में बतौर प्रतिवादी संख्या 54 संयोजित किया गया था। उसके सम्मन उसको भिजवाये गये थे, जो उस पर स्वयं पर तामील हुए हैं। सम्मन पर अपीलाण्ट के स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट ... उसको अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेण्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.12.1996 को डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के सम्मन की तामील स्वयं पर हुई है। अपीलाण्ट ने इस आदेश की अपील दिनांक ...09.2020 को लगभग 24 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। 2013 में धन्ना सिंह के पुत्रों ने दावा भी पेश किया, प्रकरण संख्या 342/2013 हरिनारायण सिंह बनाम धन्ना सिह आदि उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष इसी आराजी बाबत पेश किया, जिसमें अपीलांट धन्ना सिंह द्वारा अपना हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्रा...
हनुमानगढ़

रकबा जो अपीलाधीन डिक्री उपरान्त खाता में शेष था को स्वीकार किया व वादग्रस्त आरजी बाबत स्वयं हाजिर आकर अपने हिस्से को स्वीकारते हुए राजीनामा पेश किया। ऐस में उसे जमाबन्दी व रकबा से उसके रकबा बाबत जानकारी हो गई थी तथा वाद के द्वारा दिनांक 20.12.2013 को समस्त आराजी धन्ना सिंह के नाम से उसके पुत्र व पोत्रों के नाम दर्ज हो चुकी है। धन्ना सिंह के नाम इस खाते में कोई आराजी शेष नहीं है। जब समझोता किया गया तो अपीलाण्ट ने जमाबन्दी भी देखी होगी। इससे जाहिर है अपीलाण्ट का पूर्व से ही जानकारी थी। ऐसे में अपीलाण्ट यह नहीं कह सकता कि उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। इसके लिए रेस्पोडेण्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ दिस्तावेज पेश किये हें जो स्वीकार फरमाये जावें।। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। देरी से अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। लगभग 24 वर्ष का विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट के हक हिस्से में 1.252 है0 भूमि आती है और उतनी का ही विभाजन करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में कुल 54 प्रतिवादीगण थे अपीलाण्ट ने केवल 6 को ही पक्षकार बनाया है। जबकि सभी 54 प्रतिवादीगण भी आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट की अपील मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश की हुई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसके साथ प्रस्तुंत दस्तावेजात अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. रेस्पोडेण्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.12.1996 को डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के सम्मन की तामील स्वयं पर हुई है। अपीलाण्ट ने इस आदेश की अपील दिनांक 14.09.2020 को लगभग 24 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। 2013 में धन्ना सिंह के पुत्रों ने दावा भी पेश किया, प्रकरण संख्या 342/2013 हरिनारायण सिंह बनाम धन्ना सिह आदि उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष इसी आराजी बाबत पेश किया, जिसमें अपीलांट धन्ना सिंह द्वारा अपना हिस्सा व रकबा जो अपीलाधीन डिक्री उपरान्त खाता में शेष था को स्वीकार किया व वादग्रस्त आरजी बाबत स्वयं हाजिर आकर अपने हिस्से को स्वीकारते हुए राजीनामा पेश किया। ऐस में उसे जमाबन्दी व रकबा से उसके रकबा बाबत जानकारी हो गई थी तथा वाद के द्वारा दिनांक 20.12.2013 को समस्त आराजी धन्ना सिंह के नाम से उसके पुत्र व पोत्रों के नाम दर्ज हो चुकी है। धन्ना सिंह के नाम इस खाते में कोई आराजी शेष नहीं है। जब समझोता किया गया तो अपीलाण्ट ने जमाबन्दी भी देखी होगी। ऐसे में अपीलाण्ट यह नहीं कह सकता कि उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट ने 24 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई संताषजनक कारण नहीं बताया है। ऐसे में अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:30:55 IST
Reason: SelfAttested